SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Mr. Chairman, Sir, I am asking about the indigenous production.

MR. CHAIRMAN: No, no, I have not permitted you to speak further. ...*(Interruptions)*

**103.* [*The Questioner (Shri Balkavi Bairagi) was absent. For answer vide page 22.*]

वित्तीय संस्थानों द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

*104. श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': †
श्री कपिल सिब्बल:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिए जाने के लिए अन्य अतिरिक्त क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के साथ-साथ प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले 40 प्रतिशत ऋण के प्रावधान की प्रतिशतता को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) वित्तीय संस्थाएं बड़ी परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करती हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए उनके पास कोई मानदंड नहीं है। प्राथमिकता क्षेत्र को उधार बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

Priority sector lending for additional areas by FIs

††*104. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':†††
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to include other additional areas in the priority sector for lending by financial institutions;

(b) if so, the details of these sectors;

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

†† Original notice of the question was received in Hindi.

††† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

(c) whether proposal for increasing the percentage of provision of 40 per cent lending to priority sector is also being considered alongwith this proposal; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (d) Financial Institutions provide term loans to large projects. They do not have any norms for lending to priority sector. Lending to priority sector is undertaken by banks.

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स अपने आप में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कम लोन अदा करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स पर प्रायोरिटी सैक्टर की लैंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। प्रायोरिटी सैक्टर बैंकों द्वारा किया जाता है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, मेरा बहुत सीधा-सा सवाल था कि जो प्रायोरिटी सैक्टर हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, उन्हें बैंकों से चालीस प्रतिशत लोन मिल रहा है। सरकार का यह जवाब है कि बैंक्स प्रायोरिटी सैक्टर्स को बैंक लोन देते हैं। बैंक्स, जो कि वित्तीय संस्थान हैं, से मतलब यह हुआ कि इसका किसी तरह से कोई रास्ता निकाल लिया गया है। मैंने सीधा-सा सवाल पूछा था कि जो प्रायोरिटी सैक्टर्स हैं, उन्हें कितने प्रतिशत लोन मिलता है? सरकार का जवाब यह है कि बैंक उन्हें लोन देते हैं जबकि बैंक भी वित्तीय संस्थान हैं। मैं सरकार से इसके बारे में जानना चाहूंगा।

श्री जसवन्त सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सीधा था और मेरा उत्तर भी सीधा है। माननीय सदस्य, यह जो अंतर है वह मेरा बनाया हुआ नहीं है। अपने आप में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसाकि सर्वविदित है अलग संस्थाएं हैं। इनके नाम मैं आपको बताए देता हूं। आई.डी.बी.आई, आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.आई.बी.आई. वित्तीय संस्थाएं हैं। ये डेवलेपमेंट फाइनेंस देती हैं। ये रिटेल बैंकिंग नहीं करती हैं। चूंकि ये रिटेल बैंकिंग नहीं करती इसलिए प्रायोरिटी सैक्टर के अन्य बैंकों पर जो प्रावधान लागू होते हैं वे इन पर नहीं होते हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका समुचित उत्तर दे दिया गया है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I just wanted to know the extent of lending by banks. I think, the norm of lending by banks to the priority sector is 40 per cent. Would the hon. Minister be kind enough to tell us as to whether, the banks have been lending to the extent of 40 per cent to the priority sector? My understanding is that in the years 2000, 2001 and 2002, the

lending to the priority sector, especially in the agriculture sector, has gone down. May I know what steps the Government are taking to ensure that the 40 per cent limit is reached in every case and that this should not go down? This is my specific question.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the hon. Member is under the impression that the target is not being reached. I would like to share with the House the figure of lendings by all the three categories of banks—the public sector banks, the private sector banks as also the foreign banks. For example, the figure for advances given by the public sector banks in the year 2000 was 40.2 per cent, in 2001, it was 43 per cent and in 2002, it was 43.1 per cent. So far as the private sector banks are concerned, the figure was 38 per cent in the year 2000, 38.2 per cent in 2001 and 40.9 per cent in 2002. In foreign banks, which have a different percentage obligation, in 2000, it was 35.2 per cent, in 2001, it was 34 per cent and in 2002, it was 34.2 per cent. Therefore, the priority sector target has actually been achieved in all the three categories of banks, including the foreign banks, during the last three years.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने अभी-अभी अपने उत्तर में यह कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कर्ज बैंकों द्वारा दिया जाता है। अगर बैंकों द्वारा यह कर्ज दिया जाता है और बैंकों द्वारा जो कर्ज दिया जा रहा है उसके तथ्यों को अगर आपने देखा हो तो क्या आपने इस तथ्य पर गौर किया है कि पिछले एक दशक में वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में क्रेडिट डिपाजिट जो रेश्यो है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। उस गिरावट को देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के उपनिवेश बन कर रह गए हैं और इस क्षेत्र से धन की निक्रासी हो रही है। अगर आप पिछले एक दशक के आंकड़े देखें तो मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि 1991 में जहां क्रेडिट डिपाजिट रेश्यो 60 प्रतिशत थी अब वह गिरकर 40 प्रतिशत हो गई है। कृषि क्षेत्र में 1990 में बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज उनके कुल कर्ज का 15.94 प्रतिशत था, जो मार्च, 2000 तक आते-आते 9.9 प्रतिशत हो गया। ठीक इसके विपरीत इस सच्चाई को भी आप जानते हैं और कल भी हमने इसमें चर्चा की ..... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप प्रश्न करिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं प्रश्न कर रही हूं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एनपीए कम है तथा यह ग्रामीण क्षेत्र से जो धन की निकासी हो रही है उस धन की निकासी को रोकने के लिए आप

क्या कर रहे हैं और भारत में बढ़ती हुई दरिद्रता का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि वहां धन की निकासी हो रही है बेरोज़गारी बढ़ रही है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: तो इसमें आप ग्रामीण क्षेत्र में धन की निकासी को रोकने के लिए तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की ओर से क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति जी, माननीया सदस्या ने अपने प्रश्न की परिधि में कई विचार रख दिए, प्रश्न मात्र एक है। वैसे सीधा उनका संबंध ऋण की प्राथमिकता से होना चाहिए जो कि नहीं है। पहला जो आपने कहा कि पिछले दशक का यदि औसत लिया जाए, तो मैं माननीया सदस्या से निवेदन करूंगा कि यह जो प्रश्न है वह पिछले दशक के बारे में नहीं है, यह एक भिन्न प्रश्न है। इसलिए दशक के विश्लेषण में मैं अभी नहीं पड़ता। दूसरा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधी जो ऋण है वह समुचित अर्थात् पूरा नहीं दिया जा रहा है। उसकी व्यवस्था सही नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से पूरा दिया जा रहा है। लेकिन क्या व्यवस्था सही है, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं मात्र आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं और एक वित्त मंत्री के नाते मैं स्वयं आपसे निवेदन करूंगा कि आज कृषि संबंधित या एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से या गांवों में जो ऋण देता है, उसमें जो गांवों का ऋण देने वाला है या काश्तकार है, उसको कठिनाई होती है। यह वित्त मंत्रालय में हमने इसकी जांच शुरु की है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि एक किसान को आज ऋण उठाने में जो तकलीफ उठानी पड़ती है वह मुझे भी मंजूर नहीं। इस पर जब हमने जांच करवाई तो हमें यह बताया गया बैंकों द्वारा कि जो ट्रांज़ेक्शनल कॉस्ट है, सभापति जी, ट्रांज़ेक्शनल कॉस्ट का मैं हिन्दी में अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं, जो ट्रांज़ेक्शनल कॉस्ट है वह चाहे दो सौ करोड़ का ऋण हो चाहे बीस हजार करोड़ का, वही कागज़ी कार्यवाही, वही ट्रांज़ेक्शनल कॉस्ट होती है। अपने आप में किसानों को या गांवों में ऋण के पीछे यह एक बड़ी कमी है। यदि ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट बराबर है तो दिखती बात है जो बैंक मैनेजर होगा वह दो सौ करोड़ का ऋण देगा। उसे एक ही बार कागजी कार्यवाही करनी होगी। बीस-बीस हजार के अगर उसे सौ ऋण देने होंगे तो उसको यह एक अंडरस्टैंडेबल कमी है। हम इसके बारे में सजग हैं और हम इसका सुधार करना चाहते हैं, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: स्थिति तो बिगड़ती जा रही है।

श्री सभापति: ठीक है, उन्होंने आपकी बात मंजूर की है और बहुत अच्छे ढंग से मंजूर की है।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Mr. Chairman, Sir, the commercial banks are flush with funds, but, at the same time, the small people are not able to get any loan from the banks. In view of the difficulties in getting loans

from the non-banking financial institutions, which are regulated under the Reserve Bank regulations, it is impossible for small people to obtain loans, though the commercial banks are flush with funds. One of the reasons why the banks cannot advance money themselves is ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Don't give reasons. Put your question, and let the Minister reply.

SHRI BALBIR K. PUNJ: I am coming to that. Because they are under the stranglehold of the CBI, and the bank managers are too scared to advance loans, should the large loans go bad, they would come under the net of the CBI. Is the Government considering taking off the commercial banks from the hook of the CBI? This is my question, Sir.

SHRI JASWANT SINGH: No, Sir, we are not considering it. In fact, I understand the import of what the hon. Member is enquiring, because the index of alertness in banking transaction has, perhaps, crossed an unacceptable line, with the result that there is a great hesitation now on the part of the banking sector to lend money, particularly, to small borrowers. We are mindful of this and we have taken a number of steps. We are mindful of this and we have taken a number of steps. Of course, alertness in scrutiny of lending will continue. However, the banks must lend. They are flush with funds, but they are not lending because they haven't the confidence of lending, but thereafter, they may come under the purview of the CAG or the CVC or the CBI. The examination of banking transactions will continue but the confidence has to be restored. That is the answer for the small scale sector.

International flights from Guwahati

*105. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India is going to close the Bangkok flight from Guwahati;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to connect Guwahati with some other foreign cities by international flights?